| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील संख्या 118/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/268)<br>बअनवान रूपसिंह बनाम राकेश | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

**रूपसिंह**

**बनाम**

**राकेश**

उपस्थित

1. श्री जितेन्द्र चौपड़ा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

**आदेश**

दिनांक 16 अप्रैल 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/ए/2021 अनवान रूपसिंह बनाम राकेश में पारित आदेश दिनाक 22 अक्टूबर 2021 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 21 जुलाई 2023 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बरान् 742 से खसरा नम्बर 758, खसरा नम्बर 760 से खसरा नम्बर 783 कुल रकबा 37 बीघा 9 बिस्वा में अपीलांट बहैसियत सहखातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. को वादग्रस्त भूमि का सह-खातेदार होना बतलाया है, जबकि रेस्पोडेन्ट कभी भी खसरा नम्बर 742 का सहखातेदार नहीं था। रेस्पो. ने भीकाराम नाम के व्यक्ति से उक्त भूमि खरीद करना बतलाया है एवं भीकाराम को जमनादास का पुत्र होना बतलाया

| | | |
|---|---|---|
| | है, जबकि जमनादास जी के भीकाराम नाम का कोई पुत्र ही नही था। जब भीकाराम जमनादास का पुत्र ही नही या तो उसके द्वारा खसरा नम्बर 742 में कोई भूमि रेस्पोडेन्ट को बेचान किये जाने का प्रश्न हीं नहीं उठता है। रेस्पो. न तो सदभाविक क्रेता है और न ही रेस्पोडेंट का वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो तथ्य वादी व प्रतिवादी के द्वारा उठाये गये थे उन तथ्यो के सम्बंध में तनकियात कायम होकर पक्षकारान् की साक्ष्य कलमबद्ध की जानी है एवं पक्षकारान् की साक्ष्य होने के पश्चात् ही माननीय न्यायालय इस नतीजे पर पहुंच सकती है कि वादग्रस्त भूमि में अप्राथी व उससे पूर्व भीकाराम सहखातेदार है अथवा नहीं?, तब तक वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय का कथन है कि अपीलांट द्वारा पूर्व में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी. एक्ट का प्रस्तुत किया गया तथा उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया, इस कारण हस्तगत मामले में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस संबंध में अपीलांट का निवेदन है कि विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत मामले में भी पूर्व में प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में मानते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, किंतु अपीलाधीन आदेश के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के साथ प्रुतत फोटोग्राफ्स के आधार पर अपास्त कर दिया गया। इस कारण प्रथमिदृष्टया मामला, सुविध का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।<br><br>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 22/10/2021 की जानकारी दिनांक 23/06/2023 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर हुई। इससे पूर्व अपीलाण्ट को उक्त आदेश की जानकारी नही थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता के अधिवक्ता दिनांक 22/10/2021 को | |

| | | |
|---|---|---|
| | व उससे पूर्व पेशी पर माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। अपीलाण्ट के अधिवक्ता को भी दिनांक 22/10/2021 के आदेश की जानकारी नहीं थी और इस कारण से अपीलाण्ट को भी उक्त आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो पाई। अपीलांट ने भौजूदा अपील प्रस्तुत करने में जानबूझ कर कोई नहीं की गई है। इस कारण उक्त देरी को न्याय हित में माफ किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।<br><br>अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को खारिज फरमाया जावे एवं माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे।<br><br>जवाब में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी में पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेकर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलांट की ओर से पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो खारिज किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को परेशान करने की नियत से द्वितीय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील जानकारी के बावजूद बहुत विलंब से पेश की है, जिसका कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बतलाया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।<br><br>बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील संख्या 118/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/268)<br>बअनवान रूपसिंह बनाम राकेश | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

आराजीयात के संबंध में अपीलांट द्वारा धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पूर्व में वाद प्रस्तुत किया गया तथा उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा नही जारी की गई है। अपीलांट द्वारा उक्त वाद में नवीन अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 अक्टूबर 2021 यथावत रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

**(ओमप्रकाश विश्नोई)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी**
**जोधपुर**